



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 01, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 169/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 22 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003 पर दिनांक 22 मई, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 04, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003
(अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2003)

राज्य में तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा प्रायोजित, हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

